पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय
महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक-14.10.2013

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/13

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (टेली.)
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय- माह सितम्बर-2013 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण ।

,,,,,,,,,,

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है । साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें ।

संलग्न/- 04 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति (वि0वि0क0) अधिनियम के अंतर्गत माह-सितम्बर 2013 मे पंजींत मामले

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितम्बर-2013	27	146014	56	00	00

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह सितम्बर 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितम्बर 2013	31	27	154749	146014	56	00	00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह सितम्बर 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितम्बर-2013	05	03	100150	88950	17	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह सितम्बर 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
सितम्बर 2013	26	24	54599	57064	39	00	00

रे.सु.ब. द्वारा माह सितम्बर-2013 के दौरान
किये गये अच्छे कार्यो का ब्यौरा

1. दिनांक 07.09.2013 को रात्रि समय 23.35 बजे रिसीविंग यार्ड में तैनात प्रधान आरक्षक बी.एम.दीवान द्वारा उप निरीक्षक इटारसी यार्ड एस.सी.दुवे को सूचना दिया कि इटारसी रिसीविंग यार्ड वाईपास लाईन नं. 02 पर खडी मालगाडी क्र. ज्ञछम्त्छप्ध्ैच्र के एक वैगन का दरवाजा खुला हुआ एवं पास में कुछ शक्कर की बोरियॉं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गिराई गई हैं। सूचना पर यार्ड में गस्त कर रहे उक्त उप निरीक्षक हमराह स्टाफ के तुरन्त घटना स्थल पर पहुॅंचे, मामले में संलिप्त 06 आरोपियों को पकड़कर

उनके अपराध स्वीकारोक्ति पर उनके विरुद्व रेसुबल थाना इटारसी यार्ड द्वारा अ0क्रं- 06/2013 धारा 3 ए.आरपी(यूपी) एक्ट दिनांक 08.09.2013 को दर्ज कर जॉच में लिया उक्त मामले में चोरी गई 33 बोरी शक्कर अंदा0 वजन 1650 किग्रा, कुल अनु. कीमत रुपये 57750/- की पूर्ण बरामदगी एवं मामले में संलिप्त सभी 06 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उक्त मामले में आरोपियों के तावे से बरामद देशी कट्टा मय दो नग जिन्दा कारतूस एवं चाकू के संबंध में बैधानिक कार्यवाही एवं पंजीयन हेतु न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सिविल पुलिस चौकी इटारसी यार्ड द्वारा आरोपी जय किशन एवं विष्णु भदौरिया के विरुद्व अपराध क्रमांक 544/13 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत् दिनॉक 13.09.2013 को दर्ज किया गया। उपरोक्त मामले में श्री एस.सी. दुबे उप निरीक्षक त्व्धम्ज्छल्ए श्री जी.पी. चौधरी त्व्धम्ज्छल्ए श्री एफ.डी. यादव त्व्धम्ज्छल्ए श्री बी.एम.दीवान त्व्धम्ज्छल्ए श्री लीलाधर नायक त्व्धम्ज्छल्ए श्री शेखीराम त्व्धम्ज्छल्ए श्री जयराम सेन त्व्धम्ज्छल्ए श्री आनन्द कुमार तिवारी त्व्धम्ज्छल्ए श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी त्व्धम्ज्छल्ए श्री जे0के0वर्मा त्व्धम्ज्छल्ए श्री सनत कुमार मिश्रा त्व्धम्ज्ैजदण द्वारा डियुटी को अंजाम देते हुये उक्त सराहनीय कार्य को अंजाम दिया है।

2. दिनांक 19.09.2013 कों एक किशोरी नाम उषा कैथवास पुत्री स्व दवेसिंह नि- बिमजन कम्पनी गोविंदपुरा भोपाल को वाशिंग साईडिंग हबीबगंज में लावारिश हालत में घूमते हुये मिली जिसे पकड़कर थाना लाया गया। जिसे उप निरीक्षक मंजू मोहबे द्वारा लाड़ली आश्रय गृह बजरिया थाने के पास भोपाल की कार्यकर्ता श्रीमति जमुना फारकले को सुपुर्द किया गया।
3. दिनॉक 02.09.2013 को सउनि/महिदपुर हीरालाल गाड़ी संख्या 59802 से रेलवे एक्ट के आरोपियों को रेलवे कोर्ट रतलाम में पेश करने हेतु जा रहे थें उसी समय एक यात्री सुरेशचन्द बंसल ने बताया कि श्री पारस जैन निवासी महिदपुर के महिदपुर से नागदा जाने के लिए गाड़ी संख्या 59802 में चढते समय उनके 1,00,000/- रूपये गुम हो गये। सउनि हीरालाल की सूचना उप निरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह मय प्र0आर0 रामदयाल के साथ प्लेटफार्म नं. 01 के पास लाईन सर्च किया तो एक प्लास्टिक की थैली मिली, जिसको दो पंचो के समक्ष खोलकर देखा तो 1,00,000/- रूपये मिले जिनको श्री पारस जैन को पंचो के समक्ष सुपुर्द किया गया।

4. दिनॉक 04.09.2013 को सउनि/सवाईमाधोपुर रामलखन यादव ने नोट कराया कि गाड़ी संख्या 59805 जयपुर-बयाना पैसे. को चैक करते समय प्र0आर0 बालमुकुन्द शर्मा को प्लेटफार्म नं. 01 पर एक लड़की मिली, जिसे वह रेसुब थाना सवाईमाधोपुर ले गया जहां महिला आरक्षक प्रेमवती मीणा ने पूछताछ किया तो लड़की ने अपना नाम सिमरन पुत्री सलीम उम्र-12 वर्ष, बताया तथा बताया कि वह अपनी मॉ जमीला के साथ जयपुर से हिण्डौनसिटी जा रही थी वह सवाईमाधोपुर स्टेशन पर अनजाने में उतर गई और गाड़ी चली गई। इस बाबत् सउनि रामलखन यादव ने क्ल`ैंड कार्यालय जाकर उद्घोशणा कराई व मलारना स्टेशन मास्टर को सूचना देकर उद्घोषणा करवाई तो उसकी मॉ मलारना स्टेशन से वापिस सवाईमाधोपुर स्टेशन पर आई, जिसे दो पंचो के समक्ष उसकी मॉ को सकुशल सुपुर्द किया।

5. दिनांक 10.09.13 को सीएमआई कण्ट्रोल कोटा द्वारा मं0सु0नि0क0 कोटा को सूचित किया कि गाडी संख्या-19024 के कोच नम्बर एस/5 की बर्थ नं0 49 से 54 तक की केबिन में एक लड़की बैठी है जो घर से भाग कर जा रही है। सूचना पर उप निरीक्षक हरफूल सिंह मय महिला स्टाफ तथा स्टेशन अधीक्षक पंकज एवं जीआरपी ने गाडी को कोटा में अटेण्ड किया। चल टिकिट परीक्षक एम0के0 खत्री ने सोनिया नामक लड़की पुत्री मुकेश, उम्र-14 वर्ष, निवासी-आनन्द बिहार, नई दिल्ली को तहरीर के साथ सुपुर्द किया। बाद लड़की को पोस्ट पर लाकर चाईल्ड लाईन कोटा के सदस्य अजीज मोहम्मद को बुलाकर सभी की उपस्थित में सुपुर्द किया गया। लड़की की सुरक्षा हेतु महिला आरक्षक मधु मरोठिया एवं प्रधान आरक्षक चन्द्र सिंह को चाईल्ड लाईन कोटा की टीम के साथ भेजा गया। उक्त लड़की को नान्ता कोटा स्थित नारी निकतन गृह में अस्थाई आवास हेतु भेजा गया।

6. दिनॉक 12.09.2013 को गाडी संख्या-59814 (आगरा-कोटा पैसेन्जर) के कोटा आगमन पश्चात कैरिज विभाग द्वारा सामान्य कोचों के दरवाजे खिड़की बन्द करते समय सामान्य कोच नम्बर`ब्.11417 में एक लावारिस ट्रौली बैग होने की सूचना रे0सु0ब0 पोस्ट कोटा को दी गई। सूचना पर उप निरीक्षक आर0के0 यादव मय स्टाफ तथा जीआरपी स्टाफ मौके पर पहूँचा। बैग को कोच से उतारा तथा खोलकर देखने पर कपडों के अलावा कुछ नही मिला। बैग में मिले सामान की सूचना बनाकर एलपीओ/कोटा में जमा कराया जिसका लॉट नं0-147/01 है।

7. दिनांक 18.09.2013 को गाड़ी संख्या 51614 की सुरक्षा पार्टी (रूठियाई से कोटा) प्र0आर0 धमेन्द्र :ार्मा, आर0 सत्यवीर सिंह आर0 विनोद तोमर, तैनाती-कोटा कारखाना ने नोट कराया कि उक्त गाड़ी के अन्ता स्टेशन पर खड़ी होने पर सामान्य कोच नं. 08402 के सामने एक यात्री ने बताया कि उसकी जेब काट ली है जिसमें 1200/- रूपये थें। जेब कतरे को कोच में यात्रियों ने पकड़ रखा है। इस्कोर्टिंग पार्टी द्वारा उक्त जेब कतरे को अपने कब्जे मे लिया गया तथा पूछने पर उसने अपना नाम योगराज मीणाा पुत्र रामदयाल मीणा उम्र- 24 वर्श, जाति-मीणा, निवासी-ककरवा, थाना-छबड़ा, जिला-बॉरा (राजस्थान) बताया तथा फरीयादी ने अपना नाम कमलेश अग्रवाल पुत्र जगदीश अग्रवाल, उम्र-35 वर्श, जाति-वैश्य, निवासी- वार्ड नं. 07 शिवपुरी रोड़ शिवपुर (म0प्र0) टिकट नं. बी-26315571 एक्स. गुना से कोटा, बताया। उक्त आरोपी को इस्कोर्टिंग पार्टी द्वारा जीआरपी/कोटा को मय फरीयादी तहरीर के साथ सुपुर्द किया गया। जीआरपी द्वारा आरोपी के खिलाफ अ0क्र0 166/2013 धारा 379/34 भादस दिनांक 18.09.2013 कायम कर जॉच में लिया।

8. दिनांक 08.09.2013 को गाडी संख्या-12904 अप के गंगापुरसिटी से रवाना होने के बाद एसीपी में खड़ी हुई। गाडी की सुरक्षा पार्टी में तैनात आरक्षक/रे0सु0ब0/कोटा पोस्ट देवेन्द्र कुमार द्वारा प्रभावित सामान्य कोच नम्बर`त्.064020 को अटेण्ड किया तो महिला यात्री पूजा पत्नि राजकुमार, उम्र-28 वर्ष, निवासी-रोहणी सेक्टर, नई दिल्ली, टिकिट नं0-56295939 एक्स0 निजामुद्दीन से सवाईमाधोपुर ने संदीप नामक यात्री द्वारा अभद्र व्यवहार व छेड़छाड़ करना बताया। सुरक्षा पार्टी द्वारा यात्री संदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, उम्र-35 वर्ष, निवासी-चौहला साहब, जिला-तरनतारन (पंजाब) टिकिट नं0-96689868 एक्स0 अमृतसर से मुम्बई सैन्ट्रल को पकड़ा तथा जीआरपी/सवाईमाधोपुर को सुपुर्द किया गया। महिला यात्री की शिकायत पर जीआरपी/सवाईमाधोपुर द्वारा इस्तगासा नं0-43/2013 धारा 151, 107,116 (3) सीआरपीसी के तहत दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को एसडीएम/सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश करने पर 5000/-रूपये के स्वयं के मुचलके पर छोडा गया।

9. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 379 व्यक्तियों के विरुद्ध **तम्बाकु अधिनियम** (च्तवीपइपजपवद व िंकअमतजपेमउमदज ंदक तमहनसंजपवद व िजतंकमए चतवकनबजपवदए `नचचसल ंदक कपेजतपइनजपवद ।बजए 2003द्ध के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 75,800/-रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल अधिनियम के तहत माह सितम्बर-2013 में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	3815	1497742
138	7531	2741771
139	00	00
141	242	151750
142	00	00
143	06	00
144	967	393920
145	681	85700
146	17	8550
147	1004	167650
153	02	00
154	14	50700
155	825	74400
156	316	27050
157	00	00
159	773	60800
160	10	00
161	01	2000
162	599	23900
163	00	00
164	02	00
165	01	00
166	00	00
167	92	2200
172	01	00
173	00	00

174	31	60400
175	00	00
176	00	00
180–जी	00	00
कुल योग	**16930**	**5348533**